


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यव की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी, क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्रा (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 जुलाई 2010—आषाढ़ 29, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2010

क्र. 14553-वि.स./विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में
मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 20 जुलाई 2010 को
पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

(क्रमांक १६ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. वृहद् नाम का स्थापन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ४ और ५ का स्थापन.
५. धारा ६ का स्थापन.
६. धारा ९ का स्थापन.
७. धारा ११ का स्थापन.
८. धारा १२-क का अंतःस्थापन.
९. धारा १३-क का अंतःस्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक
(क्रमांक १६ सन् २०१०)

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इक्सठें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

वृहद् नामकास्थापन.

२. मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) में, वृहद् नाम के स्थान पर, निम्नलिखित वृहद् नाम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गौवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गौवंश के परिक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.”.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में, खण्ड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

“(ङ) “वध” से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें इस प्रकार अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्प्रिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए या अप्राकृतिक मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करना;

(ङ क) “परिवहन” से अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जबकि ऐसा परिवहन वास्तविक कृषि या आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, गौवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान द्वारा या पैदल ले जाना;

(ङ ख) “परिवाहक” से अभिप्रेत है और उसमें सम्प्रिलित है वह व्यक्ति,—

(एक) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी है, यदि गौवंश या गौमांस उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है;

(दो) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उसका सहायक है;

(तीन) जो गौवंश तथा गौमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कंपनी का तत्समय प्रभारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है;

(चार) जो किसी परिवहन फर्म का भागीदार है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है.”.

धारा ४ और ५ का स्थापन.

गौवंश के वध का प्रतिषेध.

४. मूल अधिनियम की धारा ४ और ५ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं क्रमशः स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“४. कोई भी व्यक्ति, फ़िर्जहीं भी साधनों से, किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा और न तो उन्हें वध के लिए देगा और न ही उन्हें वध के लिए दिलवाएगा.

५. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी गौवंश के गौमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा.”.

गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध.

६. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“६. कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की संभावना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा, या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं करवाएगा.

वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.

६-क (१) कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपधारा (२) में यथा उपबंधित अनुज्ञापत्र के बिना राज्य के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा.

गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञापत्र का मंजूर किया जाना.

(२) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजन से भिन्न हों, मध्यप्रदेश से गौवंश का निर्यात करने के लिए इस निमित्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के सात दिन के भीतर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा.

(३) उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञापत्र की बांछा करने वाला कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यवधारित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, और संभागीय आयुक्त ऐसा आवेदन किया जाने पर, किसी आदेश की शुद्धता, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

६-ख. कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य से होकर गौवंश का परिवहन नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मध्यप्रदेश राज्य से होकर किसी गौवंश का परिवहन करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अधिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा.”.

मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अधिवहन अनुज्ञापत्र का दिया जाना.

६. मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ९ का स्थापन.

“९. (१) जो कोई धारा ४ के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्क्रिय करेगा वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुमाने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा.

शास्ति.

(२) जो कोई धारा ५, ६, ६-क और ६-ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्क्रिय करेगा, वह कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुमाने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा.”.

धारा ११ का स्थापन.
प्रवेश, निरीक्षण,
तलाशी तथा
अभिग्रहण की
शक्ति.

७. मूल अधिनियम की धारा ११ के स्थान पर, निम्नलिखित धाराएं स्थापित की जाए, अर्थात्:—

“११. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट किए गए ऐसे किसी परिसर पर अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश करने हेतु अनुज्ञात करेगा, जैसा कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित करे और यथास्थिति, वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उससे पूछे गए किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार देगा।

(३) हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या स्वयं का यह समाधान करने की दृष्टि से कि उक्त धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया है,—

(क) गौवंश या गौमांस के निर्यात के लिए उपयोग में लाए गए अथवा उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित किसी यान को रोक सकेगा, उसमें प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसे गौवंश का, जिसके संबंध में उसे यह संदेह हो कि धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, उस यान सहित, जिसमें ऐसा गौवंश या गौमांस पाया जाता है, अभिग्रहण कर सकेगा या उसके अभिग्रहण को प्राधिकृत कर सकेगा और उसके पश्चात् इस प्रकार अभिगृहीत किए गए गौवंश और यान को विचारण के लंबित रहने तक, किसी न्यायालय में पेश करने और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समस्त उपाय कर सकेगा अथवा उपाय किया जाना प्राधिकृत कर सकेगा।

(४) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का सं. २) की धारा १०० के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

(५) धारा ४, ५, ६, ६-क और ६-ख के किसी उल्लंघन की दशा में, पुलिस किसी यान, गौवंश और गौमांस को अभिगृहीत करने के लिए सहित होगी और जिला मजिस्ट्रेट ऐसे यानों, गौवंश और गौमांस का ऐसी रीति में अधिहरण करेगा जैसी कि विहित की जाए।

११-क. (१) धारा ११ की उपधारा (५) के अधीन अधिहरण के किसी आदेश से व्यवित आदेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, या यदि ऐसे आदेश के तथ्यों की संसूचना उसे नहीं दी गई हो तो ऐसे आदेश की जानकारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, संभागीय आयुक्त (जो इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट हैं), को लिखित में, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित जिसके साथ ऐसी फोटो दी जाएगी और जो ऐसी रीति में देय होगी, जैसी कि विहित की जाए अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण।—इस उपधारा में निर्दिष्ट तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट किया गया अपील प्राधिकारी, अपील का ज्ञापन प्रस्तुत किया जाने पर, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को, जिस पर कि अपील प्राधिकारी की राय में अधिहरण के आदेश के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अपील की सुनवाई की सूचना देगा और मामले के अभिलेख मंगाएगा :

परन्तु अपील की कोई औपचारिक सूचना अपीलार्थी को, अभिग्रहण करने वाले अधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति को जिसका पूर्वोक्तानुसार प्रतिकूलतः प्रभावित होनां संभाव्य है, दी जाना आवश्यक नहीं होगी जिसे अपील की सुनवाई की तारीख, अपील प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य रीति में सूचित की जा सकती हो.

(३) अपील प्राधिकारी, अपील किए जाने की सूचना जिला कलक्टर को लिखित में भेजेगा।

(४) अपील प्राधिकारी, अधिहरण की विषयवस्तु की अभिरक्षा या उसके व्ययन (यदि आवश्यक हो) के लिए “अंतरिम” स्वरूप के ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि उसे उस मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत या उचित प्रतीत हों।

(५) अपील प्राधिकारी, मामले की प्रकृति या उसमें अन्तर्गत जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए अपील के पक्षकारों को, उनका प्रतिनिधित्व उनके अपने-अपने विधि व्यवसायियों द्वारा किये जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(६) अपील की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को, या ऐसी तारीख को, जिसको कि सुनवाई स्थगित की जाए, अपील प्राधिकारी अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों की, यदि वे स्वयं उपस्थित हों तो वैयक्तिक रूप से या लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी के मार्फत या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत, सुनवाई करेगा और उसके पश्चात् अधिहरण के आदेश की पुष्टि करने, उसे उलटने या उसे उपांतरित करने का आदेश पारित करने के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु कोई अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, यदि अपील के उचित विनिश्चय के लिए यह आवश्यक समझा जाए तो अपील प्राधिकारी अतिरिक्त जांच या तो स्वयं कर सकेगा या जिला कलक्टर से करवा सकेगा और किसी ऐसे तथ्य का, जो विचारार्थ उद्भूत हो, प्रख्यान या खण्डन करने के लिए, पक्षकारों को शपथ-पत्र फाइल करने के लिए भी अनुज्ञा दे सकेगा और तथ्यों के सबूत शपथ-पत्र द्वारा दिए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(७) अपील प्राधिकारी पारिणामिक स्वरूप के ऐसे आदेश भी पारित कर सकेगा जैसे कि वह आवश्यक समझे।

(८) अंतिम आदेश की या पारिणामिक स्वरूप के आदेश की प्रति अनुपालन के लिए या अपील प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए, जिला कलक्टर को भेजी जाएगी।

११-ख. अपील का कोई भी पक्षकार, जो अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए अंतिम आदेश से या पारिणामिक स्वरूप के आदेश से व्यक्ति हो, उस आदेश के, जिसके कि विरुद्ध आक्षेप किया जाना ईप्सित है, तीस दिन के भीतर, उस सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा, जिसके सेशन खण्ड के भीतर अपील प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के अधीन तीस दिन की कालावधि की संगणना करने में, वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित रहा हो।”

धारा १२-क का अंतः स्थापन.

अभिगृहीत गौवंश का पोषण.

धारा १३-क का अंतः स्थापन.

सबूत का भार अभियुक्त पर होगा.

८. मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए अर्थात् :—

“१२-क. राज्य सरकार, अभिगृहीत गौवंश को खिलाने-पिलाने और उनके पोषण के प्रयोजन हेतु ऐसी रीति में आवश्यक कार्रवाई करेगी जैसी कि विहित की जाए.”.

९. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए अर्थात् :—

“१३-क. जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है, वहां यदि अभियोजन प्रथमतः उसके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्थिति में है तो यह साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा कि उसने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई अपराध कारित नहीं किया है.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में गौवंश के वध का प्रतिषेध करने के लिए मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, २००४ (क्रमांक ६ सन २००४) प्रवृत्त है, किंतु कमियों के कारण पूर्वोक्त अधिनियम वांछित उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सका है।

२. उपरोक्त अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों का नियन्त्रण करने तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए और विभिन्न उपबंधों का कड़ाईपूर्वक क्रियान्वयन करने हेतु राज्य सरकार को समर्थ बनाने के लिए यह विनिश्चित किया गया है कि इस अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए।

३. प्रस्तावित विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :—

(एक) खण्ड ३—“वध”, “परिवहन” तथा “परिवाहक” शब्दों की परिभाषाएं जोड़ी जाने के लिए प्रस्तावित की गई हैं।

(दो) खण्ड ४—धारा ४ तथा ५ के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है।

(तीन) खण्ड ५—गौवंश के परिवहन तथा निर्यात के प्रतिषेध का उपबंध प्रस्तावित है, अनुज्ञा-पत्र तथा अभिवहन अनुज्ञा-पत्र के उपबंध भी प्रस्तावित किए गए हैं।

(चार) खण्ड ६—धारा ९ में भयपरतिकारी दण्ड का प्रस्ताव किया गया है।

(पांच) खण्ड ७—धारा ११ में तलाशी तथा अभिग्रहण का आवश्यक उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

(छह) खण्ड ९—अभियुक्त पर सबूत के भार का उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

४. अन्य संशोधन गौण स्वरूप के हैं।

५. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख ७ जुलाई, २०१०।

अजय विश्नोई
भारसाधक सदस्य।

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश गौवंश वधु प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक २०१० के जिन खण्डों के द्वारा विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (२):—अधिनियम को प्रभावशील किये जाने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;

खण्ड ५:—गौवंश के नियात का प्रतिषेध और अनुज्ञा-पत्र को मंजूर किये जाने तथा मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन को प्रतिषेध और अभिवहन हेतु अनुज्ञा-पत्र की रीति निहित किये जाने;

खण्ड ७:—प्रवेश निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति व अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील किये जाने की रीति विहित किये जाने;

खण्ड ८:—अभिगृहीत गौवंश के पोषण की रीति विहित किये जाने;
के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पद्यासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमिंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र. - 108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 जुलाई 2010—आषाढ़ 30, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2010

क्र. 4074-274-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 16 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 16 OF 2010.

THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH (SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2010

TABLE OF CONTENTS

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Substitution of long title.
3. Amendment of Section 2.
4. Substitution of Section 4 and 5.
5. Substitution of Section 6.
6. Substitution of Section 9.
7. Substitution of Section 11.
8. Insertion of Section 12A.
9. Insertion of Section 13A.

MADHYA PRADESH BILL
No. 16 OF 2010.

**THE MADHYA PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH (SANSHODHAN)
VIDHEYAK, 2010**

A Bill to amend the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Substitution of long title.

2. In the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Act), for the long title, the following long title shall be substituted, namely:—

“An Act to provide, in the interest of general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaughter of cow progeny, and for preservation and conservation of cow progeny and for matters connected therewith or incidental thereto.”

Amendment of section 2.

3. In Section 2 of the principal Act, for clause (e), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(e) “slaughter” means killing by any method whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death, or doing any act with the intention of causing unnatural death;

(ea) “transport” means to carry cow progeny from one place to another either by any vehicle or on foot, except when such transport is for bona fide agricultural or ancillary purposes;

(eb) “transporter” means and includes the person,—

(i) who is the owner of the vehicle carrying the cow progeny or beef, if the cow progeny or beef has been booked under his instruction or within his knowledge;

(ii) who for the time being in charge of the vehicle and his assistant, carrying the cow progeny or beef;

(iii) who is in charge of transport company, for the time being, transporting the cow progeny and beef, if booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;

(iv) who is the partner of a transport firm, if the booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;”.

Substitution of section 4 and 5.

4. For Section 4 and 5 of the principal Act, the following Sections shall respectively be substituted, namely:—

Prohibition of slaughter of cow progeny.

“4. No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter of any cow progeny by any means.

5. No. person shall have in his possession or shall transport beef of any cow progeny slaughtered in contravention of the provisions of this Act.”.	Prohibition on possession and transport of beef.
5. For section 6 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—	Substitution of section 6.
“ 6. No person including transporter shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf within the State or outside the State for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be so slaughtered.	Prohibition on transport of cow progeny for slaughter.
6A. (1) No person including transporter shall export or cause to be exported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf from any place of the State to any place out side the State without permit as provided in sub-section (2).	Prohibition of export of cow progeny and grant of permit.
(2) The Competent Authority may grant a permit within seven days on presenting application in this behalf, in such manner as may be prescribed for export of cow progeny from Madhya Pradesh for agricultural or dairy farming purposes or for participation in a cattle fair and like purposes except for the purpose of slaughter.	
(3) Any person seeking permit under sub-section (2) aggrieved by an order of the Competent Authority may make an application within thirty days from the date of receipt of the order to the Divisional Commissioner, and the Divisional Commissioner may upon such application call for the examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and the order passed by the Divisional Commissioner shall be final and shall not be called in question in any civil court.	
6B. No person including transporter shall transport cow progeny via Madhya Pradesh State and if any person including transporter wants to transport any cow progeny from one State to other via Madhya Pradesh State, then he shall take transit permit from competent Authority in such manner as may be prescribed.”.	Prohibition of transporting cow progeny via Madhya Pradesh and grant of transit permit.
6. For Section 9 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—	Substitution of Section 9.
“ 9. (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 4 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.”.	Penalties.
(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 5, 6, 6A and 6 B shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.”.	
7. For Section 11 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—	Substitution of section 11.
“ 11. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority of any person authorized by the Competent Authority in writing in this behalf shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed and shall take necessary action.	Power of entry, inspection, search and seizure.

(2) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall allow the Competent Authority or any person authorized by the Competent Authority in writing, such access to the premises as he may require for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority or the person authorized, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.

(3) Any police officer not below the rank of Head constable or any person authorized in this behalf by Competent Authority may, with a view to securing compliance of the provisions of Section 4, 5, 6 A, and 6B or for satisfying himself that the provisions of the said sections have been complied with.

(a) stop, enter and search any vehicle used or intended to be used for the export of cow progeny or beef.—

(b) seize or authorize the seizure of cow Progeny, in respect of which he suspects that any provision of Section 4, 5, 6, 6A and 6B has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such cow progeny or beef are found and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of the cow progeny and vehicle so seized, in a court and for their safe custody pending the trial.

(4) The provision of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

(5) In case of any violation of Section 4, 5, 6, 6A and 6B, the police shall be empowered to seize the vehicle, cow progeny and beef, and the District Magistrate shall confiscate such vehicles, cow progeny and beef in such manner as may be prescribed.

Appeal against order of confiscation.

11A. (1) Any person aggrieved by an order of confiscation under sub-section (5) of Section 11 may, within thirty days of the order, or if fact of such order has not been communicated to him, within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing with certified copy of order of confiscation, accompanied by such fee and payable in such manner as may be prescribed, to the Divisional Commissioner (hereinafter referred to as the Appellate Authority).

Explanation.—The time requisite for obtaining certified copy or order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-section.

(2) The Appellate Authority referred to in sub-section (1) shall, on presentation of memorandum of appeal, issue a notice for hearing of appeal to the officer effecting seizure and to any other person who in the opinion of the Appellate Authority, is likely to be adversely affected by the order of confiscation, and call for the record of the case:

Provided that no formal notice of appeal need be issued to the appellant, officer effecting seizure and any other person likely to be adversely affected as aforesaid, who may be informed in any other manner of date of hearing of appeal by the Appellate Authority.

(3) The appellate Authority shall send intimation in writing of lodging of appeal to the District Collector.

- (4) The Appellate Authority may pass such orders of "interim" nature for custody or disposal (if necessary) of the subject matter of confiscation as may appear to be just or proper in the circumstances of the case.
- (5) The Appellate Authority, having regard to the nature of the case or the complexities involved, may permit parties to the appeal to be represented by their respective legal practitioners.
- (6) On the date fixed for hearing of the appeal or on such date to which the hearing may be adjourned, the Appellate Authority shall pursue the record and hear the parties to the appeal if present in person, or through any agent duly authorized in writing or through a legal practitioner, and shall thereafter proceed to pass an order of confirmation, reversal or modification of order of confiscation:

Provided that before passing any final order the Appellate Authority may if it is considered necessary for proper decision of appeal make further enquiry itself or cause it to be made by the District Collector and may also allow parties to file affidavits for asserting or refuting any fact that may arise for consideration and may allow proof of facts by affidavits.

- (7) The Appellate Authority may also pass such orders of consequential nature, as it may deem necessary.
- (8) Copy of final order or of order of consequential nature shall be sent to District Collector for compliance or for passing any appropriate order in conformity with the order of Appellate Authority.

11B. Any party to the appeal aggrieved by final order or by order of consequential nature passed by the Appellate Authority, may within thirty days of the order sought to be impugned submit an application for revision to the Court of Sessions within the Sessions division whereof the head quarters of the Appellate Authority are situate.

Revision before
Court of Sessions
against order of
Appellate Authority.

Explanation.—In computing the period of thirty days under this section, the time requisite for obtaining certified copy of order of Appellate Authority shall be excluded.”.

8. After section 12 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of
Section 12A.

“ 12A. The State Government shall take necessary action for the purpose of feeding and maintenance of seized cow progeny in such manner as may be prescribed.”.

Maintenance of
seized cow
progeny.

9. After Section 13 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of
Section 13A.

“ 13A. Where any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act, shall be on him, if the prosecution is in a position to produce the *prima facie* evidence against him at the first instance.”.

Burden of proof
on accused.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present the Madhya Pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004 (No. 6 of 2004) is in force for the prohibition of slaughter of cow progeny. The aforesaid Act has not been able to fully achieve the desired objective on account of certain short comings.

2. In order to remove the short comings and to obviate difficulties in the implementation of the aforesaid Act and to enable the State Government to implement the different provisions strictly, it has been decided to amend the Act suitably.

3. The salient features of the proposed Bill are as under :—

- (i) Clause 3-The definitions of the words “Slaughter”, “transport” and “transporter” have been proposed to be added.
- (ii) Clause 4-Provisions of Section 4 and 5 has been revised.
- (iii) Clause 5-Provision of prohibition of transport and export of cow progeny is proposed. Provision for permit and transit permit has also been proposed.
- (iv) Clause 6-Deterrent punishment has been proposed in Section 9.
- (v) Clause 7-Necessary provision of search and seizure has been proposed in Section 11.
- (vi) Clause 9-Provision for burden of proof on accused has been proposed.

4. Other amendments are of minor nature.

5. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 7th July, 2010.

AJAY VISHNOI
Member-in-Charge.